

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक- 9/6/08

सं० 17/ए1-42/98 खंड-1 722 (17) /स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के फिजियोलॉजी विभाग के निम्नांकित कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सह-प्राध्यापक के वेतनमान 12000-16500/- रुपये प्रति माह में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में सह-प्राध्यापक के पद पर स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गयी प्रोन्नति को आर्थिक लाभ के साथ विनियमित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	सह-प्राध्यापक के पद पर नियमित होने की तिथि
1	2	3	4
1	डा० विजय कृष्ण प्रसाद	अनु०ना०म०चि०महा०, गया	13.12.03
2	डा० राजीव रंजन प्रसाद	पटना चि०महा०, पटना ।	13.12.03
3	स्व० डा० रविन्द्र कुमार	दरभंगा चि०महा०, लहेरियासराय	24.03.04

* अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।

* योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-17/ए1-42/98 खंड-1 722 (17) /पटना, दिनांक- 9/6/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी /वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव/अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।